52

न्यायालय राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4107–एक/2015 विरूद्ध आदेश 10–12–2015 – पारित – व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 49/2014–15 निगरानी

1– असर्फीलाल 2– रामकरन
दोनों पुत्रगण मेवाराम मल्लाह
ग्राम मजरा मल्लपुरा मौजा सौरा
तहसील अटेर जिला भिण्ड,म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– बालकराम पुत्र रामदयाल
2– सुरेश पुत्र आशाराम
3– भगवती पुत्र आशाराम
तीनों जाति मल्लाह निवासी ग्राम
मजरा मल्लपुरा मौजा सौरा तहसील अटेर,भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री एस.पी.धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 20 – 4 – 2016 को पारित)

अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 49/2014–15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–12–2015 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक 6/1985–86 अ–19 में पारित आदेश दि. 20–3–86 से आवेदगण के हित में ग्राम सौरा की बेहड़ भूमि सर्वे नंबर 584/10/2 रकबा 0.867 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि

अंकित किया गया है) का आवंटन किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष दिनांक 19-7-2011 को (25 वर्ष वाद) अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण क्रमांक 23/2010-11 अपील में पारित आदेश दिनॉक 30-4-2013 अपील स्वीकार कर तहसीलदार अटेर का भूमि बंटन आदेश दिनांक 20-3-86 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण क्रमांक 49/2014-15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-12-2015 से निगरानी निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो के तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि :-

(1) तहसीलदार अटेर के प्रकरण क्रमांक 6/1985-86 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 20-3-1986 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष दिनांक 19-7-2011 को अर्थात 25 वर्ष से अधिक अवधि वाद अपील प्रस्तुत की है एंव अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने अंतिम आदेश 30-4-13 को पारित करते समय विलम्ब क्षमा किया है। प्रकरण के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकगण ने अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आपत्ति (प्रतिउत्तर) प्रस्तुत किया है जो अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 23/2010-11 अपील में पृष्ठ 21 से 25 तक संलग्न है, परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने इस पर निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश दिनांक 30-4-13 पारित करते

समय विलम्ब क्षमा किया है।

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)- धारा 47 - बेरूम्याद प्रस्तुत अपील में सर्वप्रथम समयावधि के बिन्दु पर विचार किया जावेगा, तदुपरांत ही अग्रिम कार्यवाही विचारित होगी।

परन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त के विपरीत प्रकिया अपनाते हुये जानबूझकर विलम्ब के सम्बन्ध में निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश में विलम्ब क्षमा करने की त्रृटि की गई है।

(2) अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदकगण व्दारा प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदकगण ने बताया है कि तहसील न्यायालय के भूमि बंटन आदेश दिनांक 20-3-86 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 26-6-2011 को रिस्पा0 के व्दारा खेत पर अपीलांट की कास्त में अवरोध पैदा किया व पटटे वावत् कहा तो अपीलांट ने मौजा पटवारी से संपर्क किया तब पटवारी ने न्यायालय से नकलें आदि प्राप्त करने को कहा व कानूनी कार्यवाही हेतु कहा। तब 1-7-11 को नकल प्राप्त कर अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील मेमो के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब अनावेदकगण को 1-7-11 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, उन्होंने 19-7-11 को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की है, जबकि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्कानुसार तहसीलदार अटेर व्दारा आदेश दिनांक 20-3-1986 से आवेदकगण को पटटा प्रदान किया गया , तदुपरांत राजस्व निरीक्षक/पटवारी ने मौके पर पटटाग्रहीता को सीमांकन कर कब्जा सौंपा है एंव आवेदकगण एंव अनावेदकगण एक ही ग्राम के निवासी हैं तब यह नहीं माना जा सकता कि

अनावेदकगण को पटटे की जानकारी यथासमय नहीं हुई।

1. **पी0के0रामचन्द्र बनाम स्टेट आफ केरल ए0आई0आर0 1998 सु0को0 2276 का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित है कि प्रस्तुत की गई अपील समयवर्जित थी, 601 दिवस का विलम्ब था। विलम्ब क्षमा किये जाने के सम्बन में समुचित कारण नहीं दर्शाया गया। विलम्ब क्षमा करने से इंकार किया गया।**
2. **म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 – धारा 47 सहपठित 44 – पट्टादेश के विरूद्ध 25 वर्ष वाद अपील – अपील आदेश में पट्टा निरस्त किया गया – ऐसा आदेश अत्यन्त अनुचित एंव अवैध है।**

विचाराधीन प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर एकपक्षकार को लाभ पहुंचाते हुये द्वित्तीय पक्षकार को प्रोदभूत अधिकारों को अनदेखा करते हुये अनुचित विलम्ब क्षमा किया है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना ने इस पर ध्यान न देने में भूल की है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि पट्टा प्राप्ति के वाद वादग्रस्त भूमि को बेहड़ से समतल बनाने में एंव सिंचाई का साधन बनाने में आवेदकगण का काफी धन व श्रम खर्च हुआ है परन्तु 25 वर्ष से अधिक अवधि वाद प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकगण के परिवार को भूखों मरने की स्थिति में ला दिया है। यदि आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाय – **भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)–धारा 50 – भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों व्दारा गलतियां की गई – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रक्रियात्मक त्रृटि के कारण पात्र भूमिहीन बंटिति को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।**

इन्दरसिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0शासन 2009 रा.नि. 251 से अनुसरित

जब कि अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय द्वारा इस्तहार का प्रकाशन सही होना न मानते हुये 25 वर्ष वाद प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर आवेदकगण के हित में हुये भूमि आवंटन को निरस्त करने में भूल की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा प्रकरण कमांक 23/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 एवं अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्र0 क0 49/2014–15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त चम्बल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 49/2014–15 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10.12.2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी अटेर द्वारा प्रकरण कमांक 23/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 30.4.2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलस्वरूप तहसीलदार अटेर द्वारा प्र0क0 6/1985–86 अ–19 में पारित आदेश दिनांक 20.3.1986 यथावत् रहने से ग्राम सौरा स्थित, भूमि सर्वे नंबर 584/10/2 रकबा 0.867 हैक्टर पर शासकीय अभिलेख में आवेदकगण का नाम पूर्ववत् रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं ।

(एम.के.सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर